तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

23/09/21

पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों से प्रार्थीगण की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 18 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 रा.का.अ. आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी।

सर्व प्रथम वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 18 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस की, तथा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 18 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 03, 69 व 391/12 की भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट से आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी के सेढा पाड़ौसी हैं, प्रार्थीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीगण के खेत का सेढा नहीं तोडा है। प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में गुमना बनाम जयराम वगैरा धारा 111–128 के अन्तर्गत आवेदन संख्या 97/2017 तथ्यों को तोड़ मरोड़कर काल्पनिक आधार पर पेश किया था जिसके निर्णय दिनांक 20.12.2019 को न्यायालय ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि प्रार्थी अपने कब्जे काश्त अनुसार ही नेखमबंदी करवा सकता है। अपने कब्जा काश्त अनुसार नेखमबंदी करवाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी के खातेदारी खेत पर किसका कब्जा है, कब से कब्जा है, इस वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिये सक्षम न्यायालय को मौके का निरीक्षण करना विधि से आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 18 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत बांटाडेर के खसरा नम्बर 3, 69 व 391/12 का मौका निरीक्षण करने का आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1993 पेज 532 हरूराम बनाम सुल्तान प्रस्तुत किया।

इसका खण्डन करते हुए वकील विप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपने खसरान की वैद्य खातेदारी से अधिक विप्रार्थीगण की भूमि पर अवैध कब्जा किया है, मौके पर पक्की माठें बनी नहीं होने से विप्रार्थीगण की माठ को तोड़कर विप्रार्थीगण की सरहद में पुराना तटीया व झोपड़ी लाकर रखदी है, जिससे प्रार्थीगण अतिक्रमी हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी खसरा व उसमें लिखा रकबा वादपत्र में स्वीकारा है जिससे अधिक अतिक्रमणसुदा आराजी के समबन्ध में मौका निरीक्षण करना विधि के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 18 काबिले खारिज है। विप्रार्थीगण द्वारा विधि व न्यायिक प्रकिया अपनाते हुए क्लीन हैण्ड से नेखमबन्दी का आदेश लिया है जिस प्रकिया से बचने के लिये प्रार्थीगण ने यह मनगढन्त तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिले खारिज होने से अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 18 सपठित धारा 151 सीपीसी के परिपेक्ष में प्रार्थना पत्र, जवाब, पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। तथा सम्मान अवलोकन व अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा आर.आर.डी. 1993 पेज 532 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी तक एक पक्षीय स्थगन आदेश भी जारी किया गया है। इसी प्रार्थना पत्र में यह प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 18 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर न्यायालय स्वयं द्वारा निरीक्षण कर मौका रिर्पोट तैयार करने का पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 18 के सम्बन्ध में यह प्रतिपादित किया गया है कि –"न्यायालय ऐसी किसी भी सम्पति या वस्तु का निरीक्षण वाद के किसी भी प्रक्रम में कर सकेगा जिसके सम्बन्ध में कोई प्रश्न पैदा हो।" परन्तु यहां इस

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:01:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण अर्थात प्रार्थना पत्र 212 रा.का.अ. में ऐसा कोई प्रश्न पैदा नहीं हुआ है। तरातें प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र आदेश नियम 18 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं फिर भी न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के लिये साक्ष्य एकत्रित करना विधि के प्रावधानों के विपरीत है। वादीगण को अपना वाद स्वयं को ही सिद्ध किया जाना है। इस प्रकरण अर्थात प्रार्थना पत्र 212 रा.का.अ. नियम पर प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 18 के प्रावधान लागू नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 18 सपठित धारा 181 सीपीसी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

मूल प्रार्थना पत्र 212 रा.का.अ. एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के समबन्ध में वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी खेत खसरा नम्बर 03, 69 व 391/12 कुल रकबा 35 बीघा के रेकर्डेड खातेदार है जिस पर प्रार्थीगण का वक्त सेटलमेन्ट से आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी के सेढा पाड़ौसी हैं, तथा नेखमबंदी की आड़ में प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में कब्जा करने पर आमादा है इसलिये न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश ताफैसला कनफर्म किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 2019 पेज 297 लियाकत हुसैन बनाम शम्भूसिंह एवं आर.आर.डी. 2020 पेज 246 हरजिन्दर कौर बनाम रिछपालसिंह पेश की गई। वकील विप्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण अपनी स्वयं आराजी से अधिक विप्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करने पर उतारू होने तथा विप्रार्थीगण का जबरन सेढा तोड़ने से विप्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान व नेखमबन्दी का आदेश पारित करवाया तभी प्रार्थीगण ने न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश कर एकतरफा स्थगन आदेश पारित करवाया तथा इस स्थगन की आड़ में विप्रार्थीगण की भूमि की पैमाईस व नेखमबन्दी नहीं होने दे रहे हैं तथा दिन-पर दिन प्रार्थीगण की कब्बा काश्त की भूमि पर अतिक्रमण किये जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को दिया गया एकपक्षीय स्थगन आदेश निरस्त कर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया। साथ ही विप्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी की नेखमबन्दी प्रकरण की पत्रावली 97/17 अनवान गुमनाराम बनाम जैयाराम का भी अवलोकन व अध्ययन किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा, प्रार्थीगण विवादित आराजी खेत खसरा नम्बर 03, 69 व 391/12 कुल रकबा 35 बीघा के रेकर्डेड खातेदार होने से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अ. का दिनांक 25.03.2019 को इस न्यायालय में इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उक्त आराजी के सेढा-पाड़ौसी होने से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन दखलंदाजी करते रहते हैं, एवं प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करने पर उतारू हैं, इसलिये प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी में विरूद्ध विप्रार्थीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। इस वाद पत्र के साथ यह प्रार्थना पत्र 212 रा.का.अ. का मूल वाद के निस्तारण तक दौराने वाद विप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करने बाबत् पेश किया गया। जिसमें न्याया[illegible] आगामी तारीख पेशी तक एकतरफा स्थगन भी पारित कर [illegible] प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी [illegible] 97/17 अनवान गुमनाराम बना[illegible] है कि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण [illegible] दन दिनांक 02.11.2017 को पेश किया गया था, जिसके सम्मन प्रार्थीगण [illegible] त होने पर दिनांक 25.03.2019 को प्रार्थीगण की ओर से इन्हीं विद्वान अधिवक्ता [illegible] बकालातनामा पेश कर जबाव हेतु अवसर चाहा गया, तथा इसके पश्चात इसी दिन ही इस न्यायालय अर्थात सहायक कलक्टर गुड़ामालानी की अदालत में अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अ. एवं स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. का पेश कर न्यायालय से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा स्थगन आदेश भी जारी करवाया गया। इस स्थगन आदेश से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण की इस नेखमबन्दी कार्यवाही को प्रभावित करने के उद्देश्य से यह स्थगन आदेश जारी करवाया गया

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:01:42 IST
Reason: SelfAttested

हो?, ऐसा विप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाव व अपनी बहस में उल्लेखित किया गया है। इस नेखमबन्दी के प्रकरण में प्रार्थीगण ने अपने जबाव में यह लिखित कथन करते हुए कि अज अदालत द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3, 69, 391/12 मौजा बांटाडेर का दिनांक 25.3.2019 को स्थगन जारी करवा रखा है इसलिये केवल यह सहमति दी कि विप्रार्थीगण अपने कब्जा काश्त तक की ही नेखमबन्दी करबा सकते हैं। इस सहमति के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी ने अपने निर्णय में इस तथ्य का उल्लेख करते हुए विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा बांटाडेर के खसरा नम्बर 2/3 रकबा 10–04 बीघा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार दौनों पक्षों की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित कराने के आदेश पारित किये एवं इस कार्यवाही हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को कमीश्नर नियुक्त किया गया। समस्त आद्योपान्त न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण की विवादित आराजी मौजा बांटाडेर के खेत खसरा नम्बर 03, 69 व 391/12 कुल रकबा 35 बीघा की सीमाओं के सम्बन्ध में विरूद्ध विप्रार्थीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निस्तारण प्रार्थीगण के मूल वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अ. में तय होंगे। चूंकि न्यायालय के सामने यह तथ्य भी स्पष्ट हो चुका है कि प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के न्यायालय में विचाराधीन नेखमबन्दी के प्रकरण में दिनांक 25.03.2019 को अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए उसी दिनांक 25.03.2019 को ही इस न्यायालय (सहायक कलक्टर गुड़ामालानी) में उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर एक तरफा स्थगन जारी करवाया गया है। ऐसी स्थिति में विप्रार्थीगण की नेखबन्दी की कार्यवाही इस स्थगन की आड़ में रोका जाना न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से उक्त स्थगन आदेश बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, एवं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृश्टान्त इस प्रकरण में चश्पा नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 25.03.2019 निरस्त कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:01:42 IST
Reason: SelfAttested